12

अध्याय

स्थानीय शासन (Local Government)

पंचायती राज (Panchayati Raj)

भारत में 'पंचायती राज' ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है। भारत के सभी राज्यों में इसका गठन राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र से संबंधित कार्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं। संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र स्तर पर पंचायती राज निकायों से संबंधित मामलों की देख-रेख ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है।

भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे की योजना के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' का विषय राज्यों को दिया गया है। इस प्रकार, संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में पाँचवी प्रविष्टि 'स्थानीय शासन' से संबंधित है।

बलवंतराय मेहता समिति (Balwantray Mehta Committee)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953) की कार्यप्रणाली की जाँच करने और इन कार्यप्रणाली में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत रायजी मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की जिसमें 'जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण' योजना स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इसे बाद में 'पंचायती राज' कहा जाने लगा था। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं–

(i) तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों स्तरों को एक-दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों को माध्यम बनाया जाना चाहिए।

(ii) ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए; जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए।

(iii) इन निकायों को नियोजन और विकास से जुडे सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए।

(iv) पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को परामर्शी समन्वयक और पर्यवेक्षी निकाय बनाया जाना चाहिए।

(v) जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

(vi) इन जनतांत्रिक निकायों को आवश्यक शक्तियाँ और जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

(vii) इनके कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए इन निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(viii) इन्हें भविष्य में अधिक अधिकार दिए जाने के उपाय भी किए जाने चाहिए।

समिति की ये सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर ली गईं थीं। परिषद ने एक अकेले अनन्य पैटर्न पर अड़े रहने के बजाय पैटर्न का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया किंतु यह भी स्पष्ट कर दिया कि मूल सिद्धांत और व्यापक आधार पूरे देश में एक समान रहेंगे।

सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली राजस्थान राज्य में कायम हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर 1959 को नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद आंध्रप्रदेश में यह प्रणाली 1959 मे ही अपनाई गई। बाद में अधिकांश राज्यों ने इस प्रणाली को अपना लिया।

यद्यपि अधि कांश राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1960 के मध्य तक अपना लिया था, किंतु भिन्न-भिन्न राज्यों में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की परस्पर स्थिति, उनके

कार्यकाल, संरचना, कार्य तथा वित्तीय प्रबंध आदि की दृष्टि से समानता नहीं थी। उदाहरणार्थ–राजस्थान ने तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई तो दूसरी ओर तमिलनाडु ने दो स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने चार स्तरीय प्रणाली स्वीकार की। इसके अतिरिक्त राजस्थान-आंध्रप्रदेश पैटर्न में पंचायत समिति शक्तिशाली थी क्योंकि ब्लाक ही नियोजन और विकास कार्य से जुड़ी इकाई थी। महाराष्ट्र-गुजरात पैटर्न में जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि नियोजन और विकास कार्य से जुड़ी इकाई जिला ही था। कुछ राज्यों ने छोटे-छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए न्याय पंचायत भी गठित की।

अध्ययन दल और समितियाँ (Study Teams and Committees)

वर्ष 1960 से पंचायती राज्य प्रणाली की कार्यप्रणाली के विभिन्न पक्षों की जाँच के लिए कई अध्ययन दल, समितियाँ और कार्यदलों का गठन हुआ। कालक्रम के अनुसार इनके नाम और कोष्ठक में अध्यक्ष के नाम नीचे दिए जा रहे हैं–

(i) 1960 – कमेटी ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टेटिस्टिक्स (वी.आर.राव)

(ii) 1961 – वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोआपरेटिव्स (एस.डी.मिश्रा)

(iii) 1961 – स्टडी टीम ऑन पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन (वी. ईश्वरन)

(iv) 1962 – स्टडी टीम ऑन न्याय पंचायत्स (जी.आर. राजगोपाल)

(v) 1963 – स्टडी टीम ऑन पोज़िशन ऑफ़ ग्रामसभा इन पंचायती राज मूवमेंट (आर.आर.दिवाकर)

(vi) 1963 – स्टडी टीम ऑन बजटिंग एंड एकाउंटिंग प्रोसिज़र ऑफ़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन (एम.राम.कृष्णैय्या)

(vii) 1963 – स्टडी टीम ऑन पंचायती राज फाइनेंसेज (के. संथानम)

(viii) 1965 – कमेटी ऑन पंचायती राज इलेक्शंस (के. संथानम)

(ix) 1965 – स्टडी टीम ऑन पंचायती ऑडिट एंड एकाउंट्स ऑफ़ पंचायती राज बॉडीज़ (आर.के.खन्ना)

(x) 1966 – कमेटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर्स (जी. रामचंद्रन)

(xi) 1969 – स्टडी टीम ऑन इन्वाल्वमेंट ऑफ़ डेवलपमेंट एजेंसी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन दि इम्प्लिमिमेंटेशन ऑफ़ बेसिक लैंड रिफ़ॉर्म मेजर्स (वी.रामनाथन)

(xii) 1972 – वर्किंग ग्रुप फॉर फार्मुलेशन ऑफ़ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ऑन कम्यूनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (एन.रामाकृष्णैय्या)

(xiii) 1976 – कमेटी ऑन कम्यूनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (श्रीमती दया चौबे)

अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee)

जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी थी तथा अपनी रिपोर्ट में पतनोन्मुख पंचायती राज प्रणाली के पुनरोद्धार और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने से संबंधित 132 सिफारिशें की थीं। इनमें से प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं–

(i) तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के स्थान पर दो स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसके नीचे मंडल पंचायत जिसमें 15 हजार से 20 हजार की आबादी वाल गांवों को शामिल किया जाए।

(ii) राज्य स्तर से नीचे जिले को बेहतर पर्यवेक्षण के तहत विक्रेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए।

(iii) जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए तथा जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

(iv) पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए।

(v) पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान संबंधी अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिएँ ताकि ये अपने लिए वित्तीय संसाधनों को जुटा सकें।

(vi) जिला स्तर की एजेंसी और विधायकों की समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखा की लेखापरीक्षा नियमित रूप से सबके समक्ष की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आबंटित धनराशियों को इन वर्ग के लोगों के लिए ही खर्च किया गया है या नहीं।

(vii) राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि यह किया ही जाता है तो अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराने चाहिए।

(viii) न्याय पंचायतों को पंचायती निकायों से अलग रखना चाहिए तथा इन न्याय पंचायतों की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश को करनी चाहिए।

(ix) राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से पंचायती राज चुनावों का आयोजन कराना चाहिए।

(x) विकास से जुड़े कार्य जिला परिषदों को सौंप दिए जाने चाहिए और इन कार्यों से संबंधित कर्मचारियों को जिला परिषद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करना चाहिए।

(xi) पंचायती राज के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में स्वयंसेवी एजेंसियों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

(xii) राज्य की मंत्रिपरिषद में, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की देखरेख के लिए पंचायती राज मंत्री भी नियुक्त होना चाहिए।

(xiii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

जनता पार्टी की सरकार समय से पहले गिर जाने के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर केंद्र स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी थी, फिर भी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आलोक में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश–तीन राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए थे।

जी.वी.के. राव समिति (G.V.K. Rao Committee)

योजना आयोग ने वर्ष 1985 में 'ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध' विषय पर जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति का मानना था कि विकास, धीरे-धीरे प्रक्रिया का नौकरशाहीकरण है जिससे पंचायती राज प्रणाली के विकास में बाधा पड़ी है। प्रजातांत्रिकीकरण की बजाय विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाप पड़ने से पंचायती राज संस्थाएँ कमजोर हुई हैं तथा इनकी स्थिति 'बिना जड़ की घास' की हो गई हैं। पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं–

(i) प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में जिला परिषदों की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए। समिति का मानना था कि "नियोजन और विकास से जुड़े कार्यों के लिए जिला एक उपयुक्त इकाई है तथा जिन विकास कार्यक्रमों को जिला स्तर पर किया जा सकता है, उन तमाम विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन का प्रधान निकाय जिला परिषद होना चाहिए।"

(ii) जिला और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की देखरेख, कार्यान्वयन और नियोजन के संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए।

(iii) राज्य स्तर के नियोजन के कुछ कार्यों को प्रभावी विकेंद्रीकृत जिला नियोजन के लिए जिला स्तर की नियोजन इकाइयों को सौंप दिया जाना चाहिए।

(iv) जिला विकास आयुक्त का पद सृजित होना चाहिए जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला स्तर पर विकास कार्य से जुड़े सभी विभागों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

(v) पंचायती राज संस्थानों के लिए नियमित चुनाव होने चाहिए। समिति ने पाया था कि एक या एक से अधिक चरण के चुनाव 11 राज्यों में कराए जाने शेष थे।

इस प्रकार समिति ने फील्ड प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रणाली की अपनी योजना के अंतर्गत स्थानीय नियोजन और विकास कार्य में पंचायती राज को अग्रणी भूमिका प्रदान की। इस संदर्भ में जी. वी.के.राव समिति की रिपोर्ट (1986), ब्लाक स्तर के नियोजन से संबंधित दांतवाला समिति की रिपोर्ट(1978) से तथा जिला स्तर के नियोजन से संबंधित हनुमंतराव समिति की रिपोर्ट(1984) से भिन्न है। दोनों समितियों ने सुझाव दिया था कि मूलभूत विकेंद्रीकृत नियोजन का कार्य जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने मंत्री अथवा जिलाधीश के नियंत्रण में पृथक जिला नियोजन निकायों की वकालत की थी। दोनों मॉडलों में विकेंद्रीकृत नियोजन में जिलाधीश को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, हाँलाकि समिति ने यह भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को भी विकेंद्रीकृत नियोजन की इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की थी कि जिलाधीश को जिला स्तर पर विकास और नियोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार, इस संदर्भ में हनुमंतराव समिति की सिफारिशें बलवंतराय मेहता समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति और अंतत: जी.वी.के.राव समिति की सिफारिशों से भिन्न हैं क्योंकि इन समितियों ने जिलाधीश की विकास कार्यों से जुड़ी भूमिका में कमी लाने और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को बड़ी भूमिका सौंपी जाने की सिफारिश की थी।

एल.एम. सिंघवी समिति (L.M. Singhvi Committee)

राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में *रीवाइटलाइजेशन आफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट* विषय पर एक समिति एल.एम.सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की थी। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं–

(i) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए और इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इससे पंचायती राज संस्थाओं की पहचान और अखंडता को यथोचित और काफी हद तक बनाए रखा जा सकेगा। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संविधान में प्रावधान भी किए जाने चाहिए।

(ii) कई ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए।

(iii) ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गाँवों को पुनगर्ठित किया जाना चाहिए। समिति ने ग्राम सभा के महत्त्व पर भी बल दिया तथा इसे प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बताया था।

(iv) ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए।

(v) पंचायती राज संस्थानों के चुनावों, उन्हें भंग करने और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों के न्यायिक समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

संविधानीकरण (Constitutionalisation)

64वाँ संशोधन विधेयक

एल.एम.सिंघवी समिति की उक्त सिफारिशों की प्रतिक्रियास्वरूप राजीव गांधी की सरकार जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक लाई ताकि पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्तियाँ और आधार प्रदान किया जा सके और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। यद्यपि लोकसभा ने इस विधेयक को अगस्त 1989 में पारित कर दिया था किंतु राज्यसभा ने इसे अनुमोदित नहीं किया था क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि इससे संघीय प्रणाली के केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा।

वी.पी.सिंह सरकार

नवंबर 1989 में प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए वी.पी.सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का दो-दिवसीय सम्मेलन जून 1990 में हुआ। इस सम्मेलन में नए सिरे से संविधान संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव के प्रति सहमति बनी। फलस्वरूप, सितंबर 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, किंतु सरकार गिरने के कारण विधेयक भी कहीं का नहीं रहा।

नरसिम्हा राव सरकार

पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर विचार किया। इस सरकार ने प्रस्तावों में संशोधन कर विवादास्पद मुद्दों को हटा दिया। अंतत:, इस सरकार ने सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर, 1991 को और राज्यसभा में 23 दिसंबर, 1992 को पारित हुआ था। बाद में इसे 17 राज्यों की विधानसभाओं ने अनुमोदित किया और इस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति 20 अप्रैल, 1993 को दी। इस प्रकार इस विधेयक ने संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम 1992 का रूप ले लिया और 24 अप्रैल 1993 से अधिनियमित और प्रभावी हो गया।

73वां संशोधन अधिनियम 1992
(73rd Amendment Act of 1992)

इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX को जोड़ दिया गया जिसका शीर्षक 'पंचायत' रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243-ओ तक में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों के कार्य हेतु 29 मद हैं और अनुच्छेद 243 जी से संबंधित हैं। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है "ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।" यह अनुच्छेद राज्य की नीति-निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है।

इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज संस्थाएँ संविधान के अधिकार क्षेत्र में आई अर्थात राज्य सरकारें नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य हुईं। फलस्वरूप, पंचायतों का गठन और नियमित अंतराल पर चुनावों का आयोजन अब राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा है।

इस अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं–अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को उन राज्यों के कानून में शामिल किया जाना होगा जो नई पंचायती राज प्रणाली का गठन कर रहे हों। दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रावधानों को कानून में राज्य के विवेकानुसार शामिल किया जाना होगा। इस प्रकार स्वैच्छिक प्रावधानों के तहत नई पंचायती राज प्रणाली अपनाते समय राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्थानीय तत्वों जैसे भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य तथ्यों का ध्यान रखे और उन पर विचार कर अपने विवेक से कानून में उन्हें स्थान दे। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम से भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि यह राज्य के विषय से संबंधित केंद्रीय कानून है (जैसा कि स्थानीय सरकार को संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया है), फिर भी यह अधिनियम उन राज्यों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करता है जिन्हें पंचायत के संबंध में पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं।

यह अधिनियम देश में सबसे निचले स्तर की जनतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि का द्योतक है। इसके फलस्वरूप प्रतिनिधिपरक जनतंत्र का स्थान भागीदारिता पर आधारित जनतंत्र ने ले लिया। यह देश में सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा है।

इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं—

ग्रामसभा

अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्रामसभा का प्रावधान है। ग्रामसभा एक निकाय है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गाँवों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार ग्रामसभा गाँवों का संगठन है जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं ग्रामसभा राज्य के विधान द्वारा निर्धारित गाँव स्तर के सभी कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करती है।

तीन स्तरीय प्रणाली

अधिनियम में प्रत्येक राज्य में तीन स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है–अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली। अधिनियम में इन सभी शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

(i) पंचायत का आशय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, उसका नाम जो भी हो।

(ii) ग्राम का आशय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है।

(iii) मध्यवर्ती स्तर का आशय उस स्तर से है जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य निर्धारित किया है।

(iv) जिला का आशय राज्य के किसी जिले से है।

इस प्रकार, इस अधिनियम के द्वारा देशभर में पंचायती राज की संरचना में एकरूपता बनाए रखी गई है। यह उल्लेखनीय है कि 20 लाख से कम की आबादी वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव

पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधान में निर्धारित विधि से किया जाएगा।

स्थानों (सीटों) का आरक्षण

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान में ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान भी होगा।

अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित) आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर की पंचायतों में अध्यक्ष के कुल पदों/स्थानों की संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य को किसी पंचायत में स्थानों को आरक्षित रखने या किसी स्तर की पंचायत में अध्यक्ष पद को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा।

पंचायतों का कार्यकाल

अधिनियम में प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए पाँच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है तथापि, कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पंचायत के पाँच वर्ष के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले अथवा पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर करा लिए जाएँगे।

अयोग्यता

किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने अथवा चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा यदि (i)संबद्ध राज्य के विधानमंडल चुनाव के लिए उसी समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, या (ii)राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम न हो। इसके अतिरिक्त अयोग्यता संबंधी सभी विवाद निपटान हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को भेजे जाएँगे।

राज्य चुनाव आयोग

पंचायतों के सभी चुनावों के आयोजन और मतदाता सूचियों की तैयारी कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयोग में निहित होगी। राज्य चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसकी सेवा–शर्तों

और कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसे उसके पद से ठीक उसी प्रकार नहीं हटाया जा सकेगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकेगा जिससे उसे (राज्य चुनाव आयुक्त को) कोई क्षति होती हो।

शक्तियाँ और कार्य

राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। इसके अंतर्गत पंचायतों पर उनके स्तरानुसार उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का भार भी डाला जा सकेगा जो (i)आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक हों, (ii)आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें सौंपी जा सकती हों। इन शक्तियों और जिम्मेदारियों में ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।

वित्तीय प्रबंध

राज्य का विधानमंडल (i)पंचायत को करों, पथकरों और शुल्कों को लगाने , संग्रहीत करने और उसे विनियोजित करने का अधिकार दे सकता है; (ii)राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहीत करों, शुल्कों और पथकरों को पंचायत को सौंपा जा सकता है;(iii)राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है; और (iv)पंचायतों की राशि को क्रेडिट करने के लिए कोष गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है।

वित्त आयोग

राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति पाँच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिशें करेगा–

(i) उन सिद्धांतों के बारे में जो-

  (क) राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों और पथकरों से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हो,

  (ख) पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण से सम्बन्धित हो,

  (ग) राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित हो।

(ii) पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी उपायों से संबंधित।

(iii) ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के सुपुर्द किया हो।

राज्य के विधानमंडल ने इस आयोग की संरचना इसके सदस्यों के लिए अपेक्षित योग्यताओं और उनके चयन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए की। राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय वित्त आयुक्त भी राज्य में पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय सुझा सकेगा (ऐसा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जा सकेगा)।

लेखा और लेखापरीक्षा

राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा खातों के रख-रखाव और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है।

केंद्रशासित क्षेत्रों में अधिनियम का लागू होना

भारत का राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी केंद्रशासित क्षेत्र में उन अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जिनका वह उल्लेख करता है।

राज्य और क्षेत्र जिनमें अधिनियम लागू नहीं होगा

इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में शामिल हैं– (क)भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र; (ख) मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषद गठित है; (ग) पश्चिम बंगाल जहाँ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल गठित है।

विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना

इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागू रहेंगे अर्थात राज्यों को 24 अप्रैल, 1993 के बाद एक वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी बशर्ते कि उन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा भंग न किया जाए।

फलस्वरूप, अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज्य अधिनियम को वर्ष 1993 और 1994 में पारित कर दिया तथा संविधान के

73वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुसार नई प्रणाली को अपना लिया।

ग्यारहवीं अनुसूची

इस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली निम्न 29 प्रकार की कार्यात्मक (Functional Items) हैं–

- कृषि, कृषि संबंधी विस्तार सहित
- भूमि सुधार, भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
- लघु सिंचाई, जल प्रबंध और वॉटरशेड डेवलपमेंट
- पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और मुर्गीपालन
- मत्स्य पालन
- सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
- लघु वन उत्पाद
- लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित
- खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
- ग्रामीण आवास
- पेय जल
- ईंधन और चारा
- सड़क, पुलिया, सेतु, नावें, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन
- ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण
- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत
- निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
- शिक्षा तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय
- तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
- वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
- पुस्तकालय
- सांस्कृतिक आयोजन
- मेले और बाजार
- स्वास्थ्य और साफ़-सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय
- परिवार कल्याण
- महिला और बाल विकास
- समाज कल्याण- विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगो के लिए
- कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव

अनिवार्य और ऐच्छिक उपबंध

अब हम संविधान के भाग-IX या 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) के अनिवार्य या बाध्यकारी तथा ऐच्छिक या विवेकाधीन उपबंधों को पृथक रूप से परिचिन्हित करेंगे।

क. अनिवार्य या बाध्यकारी प्रावधान

1. एक ग्राम या ग्रामसमूह में ग्रामसभा का संगठन।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. पंचायतों में मतदान के लिए 21वर्ष की न्यूनतम आयु होना।
6. सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सदस्यों और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों (सदस्यों एवं अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।

तालिका 12.1 पंचायतों से जुड़े अनुच्छेदों पर एक दृष्टि

क्र.सं०	अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु
1.	243	परिभाषाएँ।
2.	243A	ग्राम सभा।
3.	243B	पंचायतों का गठन।
4.	243C	पंचायतों का संघटन।
5.	243D	स्थानों का आरक्षण।
6.	243E	पंचायतों की कार्यअवधि।
7.	243F	सदस्यता के लिए अपात्रताएँ।
8.	243G	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
9.	243H	कर लगाने की शक्तियाँ और पंचायतों की निधियाँ।
10.	243I	वित्त आयोग का गठन।
11.	243J	पंचायतों का लेखा परीक्षण।
12.	243K	पंचायतों के लिए चुनाव।
13.	243L	संघशासित प्रदेशों में अनुप्रयोग।
14.	243M	कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग।
15.	243N	मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरन्तरता।
16.	243O	निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध।

8. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पाँच वर्षों का निश्चित कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीनों के भीतर ताजा चुनाव।
9. पंचायतों के चुनाव संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना।
10. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन।

ख. ऐच्छिक प्रावधान

1. संसद तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
2. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण (सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों के लिए) प्रदान करना।
3. पंचायतों को शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।
4. पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अन्तरण करना ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार कर सकें और 11वीं अनुसूची में उल्लिखत 29 कार्यों में से सभी या कुछ कार्यों को निष्पादित कर सकें।
5. पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर, प्रशुल्क, चुंगी इत्यादि वसूलने और उद्गृहीत करने का प्राधिकार सौंपना।

शहरी स्थानीय-शासन (Urban Local Government)

भारत में 'शहरी स्थानीय शासन' शब्द का आशय लोगों द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक सीमित रहता है।

भारत में शहरी स्थानीय शासन के आठ प्रकार हैं—नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष उद्देश्य एजेंसी। शहरी शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा संविधान के 74वें (संशोधन) अधिनियम 1992 द्वारा मिला था। केंद्र स्तर पर 'शहरी स्थानीय शासन' विषय से जुड़े तीन मंत्रालय हैं—

(i) **शहरी विकास मंत्रालय** - एक अलग मंत्रालय के रूप में वर्ष 1985 में गठित
(ii) **रक्षा मंत्रालय** - छावनी बोर्ड के मामलों से संबंधित
(iii) **गृह मंत्रालय** - संघ राज्य क्षेत्र के मामलों से संबंधित

ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)

आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इस संदर्भ में मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार हैं—

(i) वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई।
(ii) वर्ष 1726 में मुंबई और कोलकाता में भी नगर निगमों की स्थापना हुई।
(iii) स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं का विकास वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 1870 के फलस्वरूप हुआ।
(iv) लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव 1882 को स्थानीय स्वशासन के 'मैग्ना कार्टा'(महाधिकार पत्र) के रूप में जाना गया। बाद में उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा।
(v) विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रायल कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1907 में हुई। उसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1909 में दी थी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉबहाउस थे।
(vi) भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में शुरू की गई द्वैत योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन स्थानांतरित विषय बनकर जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार में आ गया।
(vii) वर्ष 1924 में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद द्वारा कैंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया।
(viii) भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया।

समितियाँ और आयोग

केंद्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए नियुक्त समितियों और आयोगों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार नीचे किया जा रहा है। कोष्ठकों में समितियों/आयोगों के अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं-

(i) 1949-51 - लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी (पी. के.वट्टल)
(ii) 1953-54 - टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन(जॉन मथाई)
(iii) 1963-65 - कमेटी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ़ म्यूनिस्पिल एंपलॉईज (नूरूद्दीन अहमद)

(iv) 1963-66 – रूरल अरबन रिलेशनशिप कमेटी(ए. पी.जैन)

(v) 1963 – कमेटी ऑफ़ मिनिस्टर्स आन आगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आफ अरबन लोकल बॉडीज(रफीक जकारिया)

(vi) 1965-68 – कमेटी ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनिस्पल एंपलाइज

(vii) 1974 – कमेटी ऑन बजटरी रिफार्म इन म्यूनिस्पिल एडमिनिस्ट्रेशन(गिरिजापति मुखर्जी)

(viii)1982 – स्टडी ग्रुप ऑन कांस्टिट्यूशन, पावर्स एंड लॉज ऑफ़ अरबन लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन(के.एन. सहाय)

(ix) 1985-88 – नेशनल कमीशन ऑन अरबनाइजेशन(सी.एम.कोरिया)

संवैधानीकरण (Constitutionalisation)

अगस्त 1989 में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा में संविधान का 65वाँ संशोधन विधेयक (अर्थात नगरपालिका बिल) लाई थी। इस विधेयक का उद्देश्य था, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करना। लोकसभा में यद्यपि यह विधेयक पारित हो गया था किंतु राज्यसभा में इसे अक्तूबर 1989 में हार का सामना करना पड़ा और विधेयक रद्द हो गया।

वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सितंबर 1990 में पुनः संशोधित नगरपालिका बिल प्रस्तुत किया किंतु यह पारित न हो सका तथा लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक पुनः रद्द हो गया।

पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने भी सितंबर 1991 में संशोधित नगरपालिका बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया। इसके बाद अपेक्षित संख्या में राज्य विधानमंडलों ने इसे अनुमोदित कर दिया। राष्ट्रपति की सहमति भी अप्रैल 1993 में मिल गई और अंततः संविधान के 74वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के रूप में 1 जून, 1993 से प्रभावी हो गया।

74वाँ (संशोधन) अधिनियम 1992 (74th Amendment Act of 1992)

इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग IX ए जोड़ दिया। इस भाग का शीर्षक 'नगरपालिकाएँ' है तथा जिसके प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243-पी से 243-जेड-जी में है। इसके अतिरिक्त इसके कारण संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़नी पड़ी। इस अनुसूची में नगरपालिकाओं की 18 कार्यमदों का उल्लेख है जो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से संबंधित है।

इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। नगरपालिकाएँ संविधान के अधिकार क्षेत्र में आ गईं अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें नई नगरपालिका प्रणाली अपनाने को बाध्य हो गईं।

इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवन और सुदृढ़ता प्रदान करना है ताकि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें।

इस अधिनियम की विशेषताएँ इस प्रकार हैं--

तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ

इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है, अर्थात–

(i) नगर पंचायत (नाम जो भी हो) जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र से संबंधित हो (समवर्ती क्षेत्र के लिए)

(ii) नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए

(iii) नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र के लिए

समवर्ती क्षेत्र, छोटा शहरी क्षेत्र व बड़ा शहरी क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन से सरकारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया है–

(क) क्षेत्र की आबादी

(ख) जनसंख्या का घनत्व

(ग) स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पादित राजस्व

(घ) गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत

(ङ) आर्थिक महत्त्व या राज्यपाल द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारण।

संरचना

नगरपालिका के सभी सदस्यों का चुनाव उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे-सीधे किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में; अर्थात वार्डों में बाँटा जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव पद्धति का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। नगर पालिका में यह निम्नलिखित लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर सकता है–

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति किंतु उसे नगरपालिकाओं की बैठकों मत का अधिकार न हो।

(ii) लोकसभा या राज्य विधानमंडल के वे सदस्य जो उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों जिसमें नगरपालिका का पूरा अथवा कुछ भाग आता हो।

(iii) राज्यसभा या राज्य विधानपरिषद के वे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।
(iv) समितियों के अध्यक्ष(वार्ड समितियों को छोड़कर)

वार्ड समितियाँ

ऐसी नगरपालिकाओं में, जिनके क्षेत्र की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, एक या एक से अधिक वार्डों को शामिल कर वार्ड समिति गठित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति की संरचना, भौगोलिक क्षेत्र और समिति में स्थानों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बना सकता है। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति के गठन के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए भी किसी तरह का प्रावधान बना सकता है।

स्थानों का आरक्षण

इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में, नगरपालिका में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित) रखने का भी प्रावधान है।

राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पद्धति का निर्धारण भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों अथवा नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था कर सकता है।

नगरपालिकाओं की अवधि

इस अधिनियम में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। किंतु इसे समय से पहले अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका के गठन के लिए नए चुनाव–(i)पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, या (ii)नगरपालिका भंग होने की स्थिति में, भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पहले करा लिए जाएँगे।

अयोग्यता

कोई वह व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने का पात्र नहीं होगा जिसे (i) संबद्ध राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजन से उस समय लागू किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता है; या (ii)राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बशर्ते कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। तथापि, अयोग्यता से संबंधित सभी विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को निपटान हेतु भेजे जाएँगे।

राज्य चुनाव आयोग

नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन तथा उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को प्राप्त होगा।

शक्तियाँ और कार्य

राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जाएँगे जो स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को उनके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हों। इस योजना के तहत नगरपालिकाओं पर (i)आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी से संबंधित और (ii)नगरपालिकाओं को सौंपी जाने वाली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय (जिनमें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषय भी शामिल हैं) से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वियन की जिम्मेदारी डालने तथा कार्यान्वियन की शक्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

वित्तीय प्रबंध

राज्य विधानमंडल (i)नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर लगाने, उनका संग्रहण और विनियोजन करने की शक्ति/अधिकार दे सकता है।(ii)वह राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहीत करों, शुल्कों और पथकरों को नगरपालिकाओं को सौंप सकता है।(iii)राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकता है(iv)नगरपालिकाओं की समस्त धनराशियों को जमा करने के लिए कोष का निर्माण कर सकता है।

वित्त आयोग

पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा तथा राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिशें करेगा–

(i) वे सिद्धांत जो-
   (क) राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों, पथकरों से हुई शुद्ध आय को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित करने पर लागू हों।
   (ख) नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण के लिए लागू हों।
   (ग) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिए जाने हेतु लागू हों।

(ii) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय।
(iii) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ठीक रखने की दृष्टि से राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को प्रेषित अन्य कोई विषय।

राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल में रखेगा।

केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगरपालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति करने की दृष्टि से राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय सुझाएगा।

लेखापरीक्षा

राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं के लेखा खातों के रख-रखाव और उनकी लेखापरीक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है।

केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिनियम का लागू होना

राष्ट्रपति स्वयं द्वारा निर्दिष्ट कुछ अपवादों और संशोधनों के अधीन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने का निर्देश दे सकता है।

अधिनियम से बाहर के क्षेत्र

इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इस अधिनियम के कारण पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल कांउसिल की कार्यशक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी।

जिला नियोजन समिति

प्रत्येक राज्य, जिले की नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गईं योजनाओं को एक करने तथा जिले की समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिलास्तरीय जिला नियोजन समिति का गठन करेगा। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित बातों से संबंधित व्यवस्थाएँ कर सकता है–

(i) ऐसी समितियों की संरचना से संबंधित।
(ii) इन समितियों के सदस्यों के चुनाव के ढंग से संबंधित।
(iii) इन समितियों की, जिला नियोजन से संबंधित कार्यों के संबंध में।
(iv) इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव के ढंग से संबंधित।

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिला नियोजन समिति के सदस्यों में से 4/5 की संख्या में सदस्यों का चुनाव जिले की नगरपालिकाओं और जिला पंचायत के चुने गए सदस्यों में से ही किया जाएगा। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होगा।

इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेंगे।

महानगर नियोजन समिति

प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिए महानगर नियोजन समिति होगी। महानगर क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसकी आबादी 10 लाख या इससे अधिक हो और जो क्षेत्र एक या एक से अधिक जिलों में पड़ता हो और जिसमें दो या दो से अधिक नगरपालिकाएँ या पंचायतें या अन्य संबद्ध क्षेत्र हों। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान भी कर सकता है–

(i) इन समितियों की संरचना से संबंधित,
(ii) इन समितियों के लिए सदस्यों की चुनाव पद्धति से संबंधित
(iii) इन समितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व से संबंधित
(iv) महानगर क्षेत्र के लिए नियोजन और समन्वयन से संबंधित समितियों के कार्य, और
(v) इन समितियों के अध्यक्षों की चुनाव पद्धति से संबंधित।

अधिनियम में यह प्रावधान है कि महानगर नियोजन समिति में सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं के लिए चुने गए सदस्यों तथा महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उनमें से ही चुने जाएँगे। इस समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों की आबादी के अनुपात में होगा।

इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेंगे।

मौजूदा कानूनों और नगरपालिकाओं की स्थिति

नगरपालिकाओं से संबंधित राज्य के सभी कानून इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे अर्थात राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि 1 जून, 1993 से एक वर्ष के अंदर ही अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई नगरपालिका प्रणाली अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूदा नगरपालिकाएँ अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी। बशर्ते कि राज्य के विधान द्वारा उन्हें भंग न किया जाए।

बारहवीं अनुसूची

इस अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कार्यमदें इस प्रकार हैं–

(i) शहरी नियोजन, नगर नियोजन सहित
(ii) भूमि प्रयोग का विनियमन और भवन निर्माण
(iii) आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन
(iv) पुल/सेतु और सड़क

(v) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन से जलापूर्ति
(vi) जनस्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
(vii) अग्निशमन सेवाएँ
(viii) शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और परितंत्रीय पहलुओं का संवर्धन
(ix) समाज के कमजोर वर्गों, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के हितों की रक्षा
(x) मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन
(xi) शहरी निर्धनता उन्मूलन
(xii) पार्कों, बागों और खेल के मैदानों जैसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था
(xiii) सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यबोधी पहलुओं का संवर्धन
(xiv) शवदाह तथा शवदाह स्थल तथा विद्युत शवदाह गृह
(xv) पशुओं के लिए तालाब तथा पशुओं के प्रति निर्दयता पर रोक
(xvi) महत्त्वपूर्ण आँकड़ों का संग्रहण–जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित
(xvii) मार्गप्रकाश, गाड़ी खड़ी करने के स्थान, बस स्टॉप जैसी जन सुविधाएँ
(xviii) बूचड़खानों और कसाईखानों का विनियमन (regulation)।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार (Types)

भारत में, शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की दृष्टि से निम्न आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया है–

- नगर निगम
- नगरपालिका
- अधिसूचित क्षेत्र समिति–(नोटिफाइड एरिया समिति)
- नगर क्षेत्र समिति (टाउन एरिया समिति)
- छावनी परिषद/बोर्ड
- टाउनशिप
- पोर्ट ट्रस्ट
- स्पेशल परपज़ एजेंसी

नगर निगम

नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर और अन्य महानगरों में प्रशासन की दृष्टि से किया गया है। राज्यों में नगर निगमों का गठन संबद्ध राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा होता है। नगर निगमों के लिए एक अधिनियम भी हो सकता है तथा प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अधिनियम भी।

किसी नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं–परिषद, स्थायी समितियाँ और आयुक्त।

निगम परिषद में जनता द्वारा चुना गया पार्षद तथा नगरपालिका प्रशासन से संबंधित कार्य अनुभव और ज्ञान रखने वाले कुछ नामित व्यक्ति हो सकते हैं। संक्षेप में, निगम परिषद की संरचना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित, 74 वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। निगम परिषद का प्रधान 'महापौर' होता है जिसकी सहायतार्थ 'उपमहापौर' होता है। मेयर का चुनाव अधिकांश राज्यों में एक वर्ष की अवधि के लिए होता है, बाद में इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। महापौर (मेयर) मूलतः दिखावटी होता है और निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी और वैचारिक स्कंध–'परिषद' की बैठकों की अध्यक्षता करना है।

स्थायी समितियों के गठन का उद्देश्य निगम के कार्यों में सहायता पहुँचाना है। निगम में कार्यों का अंबार रहता है जिनके निपटान को सुगम बनाने का कार्य स्थायी समितियों द्वारा किया जाता है। स्थायी समितियां सार्वजनिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान, वित्त आदि से जुड़े मामलों को निपटाती हैं। स्थायी समितियाँ अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्णय भी लेती हैं।

नगर निगम आयुक्त पर स्थायी समितियों और परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार निगम आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होता है। निगमायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है।

नगरपालिका

नगरपालिकाओं की स्थापना शहरों और छोटे नगरों पर प्रशासन की दृष्टि से की जाती है। निगम की तरह नगरपालिकाओं की स्थापना भी राज्यों में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है। नगरपालिकाओं को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, अर्थात नगर परिषद, नगर समिति, म्यूनिस्पल बोर्ड, बॉरो म्यूनिसिपलिटी, सिटी म्यूनिसिपलिटी और अन्य। नगर निगमों की तरह नगरपालिका में भी तीन प्राधिकरण होते हैं–परिषद, स्थायी समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

परिषद की संरचना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। परिषद, नगरपालिका का विमर्शी और विधायी स्कंध है। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है जिसकी सहायतार्थ उपाध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के महापौर से सर्वथा भिन्न, नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा उसे कार्यकारी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं।

नगरपालिका में स्थायी समितियों का गठन परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया जाता हैं-स्थायी समितियाँ सार्वजनिक कार्यों, कराधान, स्वास्थ्य, वित्त आदि से जुड़े मामलों का निपटान करती हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर नगरपालिका के दिन-प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

अधिसूचित क्षेत्र समिति (नोटिफाइड एरिया कमेटी)

इस समिति का गठन दो तरह के क्षेत्रों में किया जाता है। वे क्षेत्र हैं–औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे नगर तथा वे नगर जो नगरपालिका के गठन संबंधी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाते किंतु जिन्हें राज्य सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण माना जाता हो। इस समिति का गठन चूँकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा होता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते हैं। यद्यपि यह समिति राज्य के म्यूनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है, किंतु अधिनियम के केवल वे प्रावधान ही इस समिति पर लागू हैं जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित हैं और जिनके द्वारा इसका गठन हुआ है। इस समिति को किसी दूसरे अधिनियम के अंतर्गत भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। इस समिति को नगरपालिकाओं के समकक्ष शक्ति प्राप्त होती है; किंतु नगरपालिका से सर्वथा भिन्न, इस समिति के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस प्रकार यह समिति न तो निर्वाचित निकाय है और न ही संवैधानिक।

टाउन एरिया कमेटी

इस कमेटी का गठन छोटे शहरों पर प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है यह अर्ध-नगरपालिका प्राधिकरण है जिसको सीमित संख्या में कार्य सौंपे गए हैं। जैसे-जलनिकासी, सड़क, पथ-प्रकाश, संरक्षण आदि। इस कमेटी की स्थापना राज्य के विधान के अंतर्गत अलग अधिनियम द्वारा होती है। इस कमेटी की संरचना, कार्य और अन्य मामलों का निर्धारण इस अधिनियम द्वारा ही किया जाता है। यह समिति राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: निर्वाचित या पूर्णत: नामित अथवा अंशत: निर्वाचित और अंशत: नामित हो सकती है। ए.पी.जैन की अध्यक्षता वाली 'ग्रामीण शहरी क्षेत्र से संबद्ध समिति' (1963-66) ने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की संख्या को कम करने की दृष्टि से छोटे शहरी क्षेत्र की समितियों को पंचायती राज संस्थाओं में मिला देना चाहिए।

छावनी बोर्ड

छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र की असैनिक आबादी पर नगरपालिका प्रशासन की दृष्टि से होती है। इसका क्षेत्र विस्तारित होता है जिसमें सैन्य बल और टुकड़ियाँ स्थायी रूप से रहती हैं। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 के अंतर्गत किया जाता है। यह बोर्ड केंद्रीय सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इस प्रकार यह उन शहरी स्थानीय निकायों से सर्वथा भिन्न है जिनका गठन और प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होता है। छावनी बोर्ड का गठन और प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा होता है।

वर्तमान में, देशभर में 63 छावनी बोर्ड हैं जिन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बाँटा गया है–

(i) श्रेणी I – 10,000 से अधिक असैनिक आबादी

(ii) श्रेणी II – 2,500 से 10,000 के बीच की असैनिक आबादी

(iii) श्रेणी III – 2,500 से कम असैनिक आबादी

छावनी बोर्ड में अंशत: निर्वाचित और अंशत: नामित सदस्य होते हैं। चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का तथा नामित सदस्यों(पदेन सदस्य) का कार्यकाल तब तक के लिए होता है जब तक वे उस शहर में रहते हुए उस पद पर होते हैं। संबद्ध स्टेशन को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा उन्हीं सदस्यों में से किया जाता है जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। श्रेणी I के छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं–

(i) स्टेशन को कमांड कर रहा सैनिक अधिकारी

(ii) छावनी क्षेत्र का कार्यकारी अभियंता

(iii) छावनी क्षेत्र का स्वास्थ्य अधिकारी

(iv) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

(v) स्टेशन को कमांड कर रहे सैन्य अधिकारी द्वारा नामित चार सैन्य अधिकारी

(vi) छावनी क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए सात सदस्य

छावनी बोर्ड वे ही काम करता है जो नगरपालिकाओं द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य संवैधानिक दृष्टि से बाध्यकर और विवेकाधीन कार्यों के रूप में श्रेणीबद्ध हैं। बोर्ड की आय के स्रोत में कर आधारित आय और गैर-कर आधारित आय– दोनों तरह की हैं।

छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी अधिकारी बोर्ड और इसकी समितियों के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को लागू करता है। कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय संवर्ग का होता है जिसका गठन इस प्रयोजन से ही किया जाता है।

टाउनशिप

शहरी शासन के इस रूप की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अपने उन कार्मिकों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने

के लिए की जाती हैं जो उद्यम से जुड़े संयत्रों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहते हैं। उद्यम, ऐसे शहर (टाउनशिप) में प्रशासन कार्य की देखभाल के लिए नगर प्रशासन की नियुक्ति करता है जिसकी सहायतार्थ कुछ अभियंता तथा तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ होते हैं। इस प्रकार शहरी शासन के इस रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि टाउनशिप, उद्यम के नौकरशाही ढाँचे का विस्तार है।

पोर्ट ट्रस्ट

इनकी स्थापना पत्तन शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जैसे स्थानों पर दो उद्देश्यों से की जाती है-(i)पत्तनों के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा के लिए; और (ii)नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए। पोर्ट ट्रस्ट का गठन संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इसमें निर्वाचित और नामित–दोनों तरह के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कोई अधिकारी होता है। इसके नागरिक कार्य कमोबेश नगरपालिका जैसे ही हैं।

विशेष उद्देश्य एजेंसी

क्षेत्र आधारित शहरी निकायों या बहुउद्देश्यीय एजेंसियों; जैसे–नगर निगम, नगरपालिकाएँ, अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, टाउन एरिया समितियाँ, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा उन विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कुछ एजेंसियों का गठन किया है जो वैध रूप से नगरनिगमों या नगरपालिकाओं या अन्य स्थानी शहरी शासन के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। दूसरे शब्दों में, कार्य आधारित एजेंसियाँ हैं न कि क्षेत्र आधारित। इन एजेंसियों को 'एक उद्देशीय' या 'बहुउद्देशीय या विशेष उद्देशीय अथवा 'कार्य आधारित' स्थानीय निकाय कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ निकायों/एजेंसियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है–

(i) टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (नगर सुधार ट्रस्ट)
(ii) अरबन डेवलपमेंट अथॉरिटी (शहरी विकास प्राधिकरण)
(iii) वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोडर्स (जल आपूर्ति एवं मलजल निकासी बोर्ड)
(iv) हाउसिंग बोर्ड (गृह निर्माण बोर्ड)
(v) प्रदूषण नियंत्रण बोडर्स
(vi) विद्युत आपूर्ति बोडर्स
(vii) ट्रांसपोर्ट बोर्ड और अन्य।

कार्य आधारित इन स्थानीय निकायों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा एक सार्वजनिक निकाय के रूप में अथवा कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा विभागों के रूप में की जाती है। ये स्वायत्त संस्थाओं के तौर पर काम करते हैं और स्थानीय-शहरी सरकारों के; अर्थात नगर निगमों या नगर पालिकाओं आदि से स्वाधीन उन कार्यों को निपटाते हैं जो उनको सौंपे जाते हैं। अत: ये स्थानीय नगरपालिका निकायों की अधीनस्थ संस्थाएँ नहीं हैं।

नगरपालिका कार्मिक (Municipal Personnel)

भारत में 3 प्रकार की नगरपालिका कार्मिक-प्रणालियाँ हैं। स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक इन तीन प्रणालियों में से किसी एक अथवा सभी प्रणालियों से संबद्ध हो सकते हैं। ये प्रणालियाँ हैं–

1. पृथक कार्मिक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति प्रशासन और नियंत्रण स्वयं करता है। इन कार्मिकों को किसी दूसरे स्थानीय निकाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यह व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि करती है और अविभक्त निष्ठा भाव को प्रोत्साहन देती है।

2. सम्मिलित कार्मिक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति, उन पर प्रशासन और नियंत्रण राज्य सरकार करती है। दूसरे शब्दों में, राज्य के सभी शहरी निकायों के लिए राज्यव्यापी सेवाओं का निर्माण किया जाता है। इनको राज्य के स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रणाली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित है।

3. एकीकृत कार्मिक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी एक ही सेवा के अंग होते हैं; अर्थात नगरपालिका कार्मिक राज्य सेवा के सदस्य होते हैं। इन कार्मिकों को राज्य के स्थानीय निकायों में ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार स्थानीय लोकसेवा और राज्य लोकसेवा में कोई भेद नहीं होता है। यह प्रणाली उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में प्रचलित है।

नगरपालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं–

1. अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई।) इसका गठन वर्ष 1927 में हुआ था। यह निजी पंजीकृत समिति है।
2. शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (सेंटर फॉर अरबन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़) नई दिल्ली। इसका गठन 'नगर पालिका कर्मचारियों को प्रशिक्षण'

विषय से संबद्ध नूरूद्दीन अहमद समिति (1963-65)की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1967 में किया गया था।

3. क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (रीजनल सेंटर्स फॉर अरबन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़) कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई का गठन भी नूरूद्दीन अहमद कमेटी में उल्लिखित समिति की ही सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में किया गया था।
4. राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अरबन अफ़ेयर्स) स्थापना वर्ष 1976
5. मानव अधिवास प्रबंधन संस्थान (ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट) स्थापना वर्ष 1985

केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद
(Central Council of Local Government)

इस की स्थापना वर्ष 1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूलत: इसे केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के नाम से जाना जाता था। 'स्वशासन' शब्द को अनावश्यक मानते हुए मात्र 'शासन' शब्द को रहने दिया गया। इस प्रकार स्वशासन के स्थान पर स्थानीय शासन अर्थात 'केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद' का नाम पड़ा। वर्ष 1958 तक यह परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के स्थानीय शासन का कार्य संभालती रही किंतु वर्ष 1958 के बाद यह परिषद केवल शहरी स्थानीय शासन का कार्य ही देख रहा है।

परिषद एक परामर्शदाता निकाय है। इसमें भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन से जुड़े विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है।

यह परिषद स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करती है–

(i) नीतिगत मामलों पर विचार और उनकी अनुशंसा,
(ii) विधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार करना,
(iii) केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की संभावना का पता लगाना,
(iv) साझा कार्य योजना तैयार करना
(v) केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु सिफारिश करना,
(vi) केंद्रीय वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना।

बहुविकल्पीय पश्न

1. राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
    1. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है।
    2. उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
    3. वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है।
    4. राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है।

    (a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2 और 3
    (c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

2. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं?
    1. कैबिनेट सचिव
    2. ग्रामीण विकास सचिव
    3. रक्षा सचिव
    4. कार्मिक सचिव

    (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
    (c) 1 और 4 (d) 1, 2 और 4

3. राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
    1. इन शक्तियों का निर्धारण अनुच्छेद 200 में किया गया है।
    2. यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
    3. यदि विधेयक से उच्च न्यायालय की गरिमा प्रभावित होती हो तो इस अधिकार का प्रयोग अनिवार्य है।
    4. राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है।
    5. यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है।

    (a) 1, 2 और 3 (b) 3, 4 और 5
    (c) 1, 3 और 5 (d) 2, 3 और 4

4. जिला प्रशासन का कार्य क्या है?
    1. जिले में कानून और व्यवस्था का प्रशासन
    2. जिले में राजस्व प्रशासन

3. जिले में विकास प्रशासन
4. जिले में लोक प्रशासन

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 4

5. जिलाधीश पद का सृजन किसने किया था?
(a) राबर्ट क्लाइव (b) लॉर्ड कार्नवालिस
(c) लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स (d) लॉर्ड वेलेज़ली

6. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है?
(a) सर जॉर्ज कैंपबेल
(b) सर विलियम विल्सन
(c) दि इंपीरियल गजेटियर ऑफ़ इंडिया
(d) रैम्जे मैक्डोनाल्ड

7. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ अधिसूचित क्षेत्र समिति से संबंधित हैं?
1. इसका गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम से हुआ है।
2. इसका गठन नव-विकसित नगरों के लिए किया गया है।
3. इसकी और नगरपालिका परिषद की शक्तियाँ एक समान है।
4. यह पूर्णत: नामित निकाय है।
5. इसके अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा होता है।

(a) 1, 3 और 4 (b) 2, 3 और 4
(c) 2, 4 और 5 (d) 3, 4 और 5

8. पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?
1. दो स्तरीय प्रणाली का सृजन
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
3. पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति
4. पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी
5. अधिक्रमण होने पर एक वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिएँ

(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2, 4 और 5
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 3, 4 और 5

9. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
(a) उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(b) राज्य लोकसेवा आयोग
(c) राज्य का मुख्यमंत्री
(d) राज्य का राज्यपाल

10. राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है?
(a) अध्यक्ष (b) वित्त मंत्री
(c) मुख्यमंत्री (d) राज्यपाल

11. मुख्य सचिव को अवशिष्ट उत्तराधिकारी (Residual Legatee) की संज्ञा दी गई है, इसका अर्थ है कि–
(a) वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार है।
(b) वह राज्य मंत्रिमंडल का सचिव है।
(c) वह राज्य में लोकसेवा का प्रधान है।
(d) वह उन मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।

12. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?
(a) संथानम समिति - पंचायत राज और वित्तीय प्रबंध
(b) बलवंत राय मेहता समिति - पंचायती राज संस्थान
(c) जी.वी.के.राव समिति - ब्लाक स्तर पर नियोजन
(d) दाँतवाला समिति – ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन।

13. बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को–
(a) जिला परिषद से अलग रखना चाहिए।
(b) जिला परिषद का मताधिकार न रखने वाला सदस्य होना चाहिए।
(c) जिला परिषद का मतदान के अधिकार से युक्त सदस्य होना चाहिए।
(d) जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।

14. बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में किससे है?
(a) प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण।
(b) पंचायती राज संस्थाओं।
(c) ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्थाओं।
(d) सामुदायिक विकास कार्यक्रम से।

15. ग्रामीण स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई थी (क्रमानुसार)?
(a) राजस्थान और मध्य प्रदेश
(b) आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल
(c) राजस्थान और आंध्र प्रदेश
(d) आंध्र प्रदेश और राजस्थान

16. मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. वह सरकार के मुख्य जन-संपर्क अधिकारी का कार्य करता है।
2. वह अंतर्सरकारी मामलों में संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है।
3. वह मुख्यमंत्री का एकमात्र सलाहकार होता है।
4. वर्ष 1974 में मुख्य सचिव पद को भारत सरकार में सचिव के समकक्ष बनाया गया था।

(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
(c) 1 और 2 (d) 2 और 4

17. जिला और सत्र–दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं?
(a) जिलाधीश
(b) राज्य के राज्यपाल
(c) राज्य के कानून मंत्री
(d) राज्य के उच्च न्यायालय

18. निम्नलिखित को आरोही क्रम (नीचे से ऊपर की ओर) में व्यवस्थित करें–
1. तहसील 2. उप-संभाग
3. ग्राम 4. परगना
(a) 2, 1, 4, 3 (b) 2, 1, 3, 4
(c) 3, 4, 1, 2 (d) 3, 4, 2, 1

19. निम्नलिखित में से कौन-सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है?
(a) बलवंत राय मेहता समिति
(b) जी. वी.के.राव समिति
(c) एल.एम.सिंघवी समिति
(d) अशोक मेहता समिति

20. जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है?
(a) राजस्व विभाग और पुलिस विभाग
(b) पुलिस विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग
(c) सामान्य प्रशासन विभाग और न्यायिक विभाग
(d) राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग

21. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारी संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी का काम करता है?
(a) पुलिस अधीक्षक (b) जिला न्यायाधीश
(c) संभागीय आयुक्त (d) जिला कलेक्टर/जिलाधीश

22. जिलाधीश राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग से संबद्ध होता है?
(a) राजस्व विभाग
(b) गृह विभाग
(c) ग्रामीण विकास विभाग
(d) सामान्य प्रशासन विभाग

23. भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(a) राजस्व प्रभाग/उप-सम्भाग (b) तहसील/मंडल
(c) जिला (d) ग्राम

24. भारत में जिलाधीश पद का सृजन किस वर्ष हुआ था?
(a) 1771 (b) 1772
(c) 1774 (d) 1777

25. निम्नलिखित में से किन राज्यों में जिलाधीश को जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं?
1. जम्मू और कश्मीर 2. उत्तर प्रदेश
3. असम 4. पश्चिम बंगाल
(a) 1,और 2 (b) 2 और 3
(c) 2 और 4 (d) 1 और 4

26. "जिला स्तर पर कलेक्टर या उपायुक्त को विकास से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के दल का कप्तान होना चाहिए तथा उस पर समुदाय विकास से जुड़ी जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग देने और समन्वय स्थापित करने की पूरी जिम्मेदारी डालनी चाहिए।" उक्त कथन किससे संबंधित है?
(a) अशोक मेहता समिति
(b) जी.वी.के.राव समिति
(c) एल.एम.सिंघवी समिति
(d) बलवंतराय मेहता समिति

27. "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएँगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ सौंपेंगे।" इस प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है?
(a) भाग I (b) भाग IV ए
(c) भाग III (d) भाग IV

28. राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान संबंधी शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. राज्यपाल, कोर्टमार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ़ कर सकता है जबकि राष्ट्रपति नहीं।
2. राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं।
3. राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं।
4. राष्ट्रपति, कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं।

(a) 1 और 2 (b) 2 और 4
(c) 1 और 3 (d) 3 और 4

29. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है?
1. अनुच्छेद 356 2. अनुच्छेद 360
3. अनुच्छेद 352 4. अनुच्छेद 365
(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 1 और 4 (d) 1 और 2

30. निम्नलिखित में से कौन-से कार्य मंत्रिमंडल सचिव और मुख्य सचिव–दोनों द्वारा किए जाते हैं?
1. दोनों अपने-अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं।
2. दोनों अपने-अपने मुख्य कार्यकारियों के प्रमुख सलाहकार हैं।
3. दोनों अपने-अपने सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
4. दोनों अपने-अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं।
5. दोनों अपने-अपने मंत्रिमंडल सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2, 4 और 5 (d) 3, 4 और 5

31. राज्य सचिवालय के निम्नलिखित विभागों में किस विभाग का प्रमुख 'विशेषज्ञ श्रेणी का लोकसेवक' होता है?
(a) कृषि विभाग
(b) सिंचाई और विद्युत विभाग
(c) उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग
(d) लोकनिर्माण विभाग

32. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किन कारणों से जिलाधीश की प्रतिष्ठा और उसके अधिकार में कमी आई है?
1. सरकार के स्वरूप में बदलाव
2. जिलों में विभागों की संख्या में वृद्धि
3. पंचायती राज का आविर्भाव
4. सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों में बदलाव
5. कानून और व्यवस्था से जुड़े प्रशासन की आयुक्त प्रणाली का जन्म।
(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 5
(c) 2, 3 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

34. निम्नलिखित में से किस संविधान (संशोधन) अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है?
(a) चौथे (संशोधन) अधिनियम में
(b) सातवें (संशोधन) अधिनियम में
(c) ग्यारहवें (संशोधन) अधिनियम में
(d) चौबीसवें (संशोधन) अधिनियम में

35. अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ 'अधीनस्थ' शब्द में कौन शामिल हैं?
(a) सभी मंत्री और मुख्यमंत्री
(b) मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री
(c) केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
(d) केवल कैबिनेट मंत्री

36. राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति–
1. राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है।
2. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ राज्यपाल के पास होंगी।
3. उच्च न्यायालय को छोड़कर, राज्य सरकार के सभी कार्यों, की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है।
4. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के प्राधिकार में रहेंगी।
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 1 और 4

37. मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है–
(a) कैबिनेट मंत्री (b) राज्यपाल
(c) मुख्य मंत्री (d) प्रधानमंत्री

38. राज्य सचिवालय में सबसे महत्त्वपूर्ण कौन-सा विभाग है–
(a) गृह विभाग (b) वित्त विभाग
(c) सामान्य प्रशासन विभाग (d) कार्मिक विभाग

39. राज्य प्रशासन में निदेशालय किस श्रेणी में आते हैं?
(a) नीति निरूपक एजेंसी (b) संवैधानिक एजेंसी
(c) सांविधिक एजेंसी (d) कार्यकारी एजेंसी

40. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है।
2. राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित है।
4. अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के सत्रावसान के समय ही जारी किया जा सकता है न कि राज्य विधानपरिषद के सत्रावसान के समय।

5. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता है।

(a) 2, 3 और 4 (b) 1, 3 और 5
(c) 1, 2 और 3 (d) 2, 4 और 5

41. मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्रीय स्तर पर हुई है।
2. दोनों पदों की शक्तियाँ और कार्य समान हैं।
3. दोनों पदधारी अपने-अपने मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं।
4. कैबिनेट सचिव पद की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर तथा मुख्य सचिव पद की उत्पत्ति राज्य स्तर पर हुई थी।
5. दोनों की शक्तियां और कार्य असमान हैं।

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 3, 4 और 5 (d) 1, 3 और 5

42. राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकाशंत: किस पदनाम से पुकारा जाता है?

(a) सचिव (b) रजिस्ट्रार
(c) आयुक्त (d) निदेशक

43. फ्रांस के प्रीफेक्ट पद के समकक्ष भारत में कौन-सा पद है?

(a) मुख्य सचिव (b) संभागीय आयुक्त
(c) खंड विकास अधिकारी (d) जिलाधीश

44. पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस विषय से संबद्ध है?

(a) स्थानीय शासन (b) स्थानीय प्रशासन
(c) स्थानीय स्वशासन (d) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

45. केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?

1. इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत हुई थी।
2. इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा हुई थी।
3. यह नगर निकाय प्रशासन से संबंधित परामर्शी निकाय है।
4. इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुई थी।
5. इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत हुई थी।

(a) 3, 4 और 5 (b) 2 और 5
(c) 1 और 4 (d) 1 और 2

46. मुख्य सचिव के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन-से कार्य शामिल हैं?

1. राज्य मंत्रिपरिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करना।
2. मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्य करना।
3. मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना।
4. राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना।
5. राज्य के कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के सचिव के रूप में कार्य करना।

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 5
(c) 3 और 5 (d) 2, 3 और 4

47. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिलाधीश के प्रभुत्व में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कारण जिम्मेदार नहीं है/हैं?

1. पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
2. विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना।
3. आई.सी.एस. की जगह आई.ए.एस. लाया जाना।
4. लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ना।
5. एकात्मक राज्य की जगह संघीय राज्य स्थापित होना।

(a) 1, 3 और 5 (b) 2, 3 और 4
(c) 3 और 5 (d) केवल 5

48. छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं–

1. नगर निकाय प्रशासन की यह प्रणाली हमारे देश में ब्रिटिश विरासत है।
2. इनकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
3. इन पर रक्षा मंत्रालय का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है।
4. इनमें केवल चुने हुए सदस्य ही होते हैं।
5. बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

(a) 1, 3 और 5 (b) 2, 3 और 4
(c) 1 और 3 (d) 3, 4, और 5

49. निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर वर्ष 1973 में राज्य के मुख्य सचिव पद को भारत सरकार में सचिव पद के समकक्ष लाया गया था?

(a) विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुधार आयोग
(b) पी.एच.एप्पलबी रिपोर्ट
(c) संथानम समिति रिपोर्ट
(d) केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग

50. नगर निकायों से संबंधित 74वें (संशोधन)अधिनियम की निम्न में से कौन-सी विशिष्टताएँ हैं?

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों(सीटों) का आरक्षण नगर निकाय क्षेत्र में (कुल

आबादी में) इनकी आबादी के अनुपात में होना।

2. चुनाव अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर होंगे।
3. लेखा के रख-रखाव तथा लेखापरीक्षा संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाना।
4. छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पंचायतों का गठन।
5. कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना।

(a) 1, 2 और 4 (b) 2, 3 और 5
(c) 3, 4 और 5 (d) 1 और 2

कथन (A) और कारण (R) प्रतिरूप:- (Assertion (A) Reason (R) Pattern)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उनके नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करके दीजिए–

(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सही हैं किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, किंतु R गलत है।
(d) A गलत है, किंतु R सही है।

51. ***कथन*** (A) *:* संविधान के तहत, मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है।
कारण (R) *:* मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

52. ***कथन*** (A) *:* मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है।
कारण (R) *:* मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।

53. ***कथन*** (A) *:* लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव(1882) को स्थानीय शासन का 'मैग्नाकार्टा' कहा गया था।
कारण (R) *:* लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक' माना जाता है।

54. ***कथन*** (A) *:* उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगर पंचायत समितियाँ हैं।
कारण (R) *:* नगर पंचायत समिति एक अर्ध नगर निकाय प्राधिकरण है।

55. ***कथन*** (A) *:* संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम ने ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया है।
कारण (R) *:* बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया है।

56. ***कथन*** (A) *:* मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है।
कारण (R) *:* मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है।

57. ***कथन*** (A) *:* जिलाधीश के कार्यों और कर्तव्यों की व्याख्या सीधे तौर पर नहीं की जा सकती है।
कारण (R) *:* वह जिला प्रशासन का प्रमुख और जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है।

58. ***कथन*** (A) *:* राज्य का राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है।
कारण (R) *:* संविधान के तहत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है।

59. ***कथन*** (A) *:* राज्य सचिवालय में सचिव राज्य सरकार का सचिव होता है, न कि किसी मंत्री विशेष का।
कारण (R) *:* राज्य सचिवालय नीति-निर्माण निकाय है।

60. ***कथन*** (A) *:* ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा जो भारत का नागरिक न हो और जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
कारण (R) *:* राज्यपाल अपने पद के अतिरिक्त लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा।

61. ***कथन*** (A) *:* राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है।
कारण (R) *:* राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

62. ***कथन*** (A) *:* राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जाएगी।
कारण (R) *:* जहाँ किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ राज्यपाल को देय परिलब्धियों और भत्तों का भुगतान संबद्ध राज्यों द्वारा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाएगा।

63. ***कथन*** (A) *:* राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, परंतु यह सहायता और सलाह राज्यपाल के उस कार्य या कार्यों के लिए नहीं होगी जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उसके विवेकाधीन हैं।
कारण (R) *:* मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी।

सुमेलन प्रतिरूप (Matching Pattern)

सूची I का मिलान II सूची से करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें।

64.

सूची I	सूची II
A. राज्यपाल	1. अनुच्छेद 167
B. मंत्रिपरिषद	2. अनुच्छेद 169
C. मुख्यमंत्री के कार्य	3. अनुच्छेद 155
D. विधानपरिषद	4. अनुच्छेद 163

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	1	2	3	4
(b)	4	3	2	1
(c)	3	2	4	1
(d)	3	4	1	2

65. सूची I — सूची II

A. मुख्य कार्यकारी अधिकारी — 1. उत्तर प्रदेश
B. जिला राजस्व अधिकारी — 2. गुजरात
C. अपर जिला मजिस्ट्रेट — 3. महाराष्ट्र
D. जिला विकास अधिकारी — 4. तमिलनाडु
5. राजस्थान

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	2	4	1	3
(c)	2	5	4	3
(b)	3	2	1	4
(d)	3	4	1	2

66. सूची I — सूची II

A. वैचारिक संगठन — 1. आयुक्त
B. औपचारिक प्रमुख — 2. स्थायी समिति
C. प्रबंधन — 3. मेयर
D. कार्यकारी निकाय — 4 परिषद

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	4	2	3	1
(b)	3	2	1	4
(c)	2	3	1	4
(d)	4	3	2	1

67. सूची I (राज्य) — सूची II (राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियाँ)

A. मध्य प्रदेश — 1. कानून और व्यवस्था
B. गुजरात — 2. जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन
C. नागालैंड — 3. पिछड़े क्षेत्र का विकास
D. असम — 4. जनजातीय कल्याण मंत्री
5. पर्वतीय क्षेत्र कार्य समिति

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	4	2	5
(b)	2	1	4	3
(c)	4	3	1	2
(d)	5	3	2	4

68. सूची I — सूची II

A. फिरका — 1. महाराष्ट्र
B. परगना — 2. तमिलनाडु
C. प्रांत — 3. उत्तर प्रदेश
D. सर्किल — 4. पंजाब
5. महाराष्ट्र

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	2	4	1
(b)	2	3	5	4
(c)	2	3	5	1
(d)	5	2	4	1

69. सूची I — सूची II

A. ग्रामीण स्थानीय निकाय — 1. गृह मंत्रालय
B. छावनी बोर्ड — 2. स्वास्थ्य मंत्रालय
C. शहरी स्थानीय निकाय — 3. ग्रामीण विकास मंत्रालय
D. संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय शासन — 4. रक्षा मंत्रालय
5. शहरी विकास मंत्रालय

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	2	4	5	1
(b)	3	1	2	4
(c)	2	4	1	3
(d)	3	4	5	1

70. सूची I — सूची II

A. अनुच्छेद 156 — 1. राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार
B. अनुच्छेद 154 — 2. राज्यपाल का कार्यकाल
C. अनुच्छेद 153 — 3. राज्यपाल की नियुक्ति
D. अनुच्छेद 155 — 4. राज्यपाल का पद
5. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	4	5	1
(b)	2	1	4	3

(c)	5	2	3	4
(d)	2	3	4	1

71. सूची I (समितियाँ) — सूची II (विचारणीय विषय)

A. जी.वी.के.राव समिति
B. बलवंत राय मेहता समिति
C. एल.एम.सिंघवी समिति
D. अशोक मेहता समिति

1. पंचायती राज संस्थाएँ
2. प्रजातंत्र और विकास के लिए पंचायतीराज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
3. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थाएँ।
4. समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा
5. पंचायती राज चुनाव

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	4	3	1	2
(b)	4	3	2	1
(c)	3	4	2	1
(d)	3	4	1	2

72. सूची I (समितियाँ) — सूची II (अध्यक्ष)

A. कराधान जाँच आयोग
B. नगर निकाय कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी समिति
C. स्थानीय वित्त जांच समिति
D. ग्रामीण-शहरी संबंध समिति

1. पी.के.वट्टल
2. ए.पी.जैन
3. नूरुद्दीन अहमद
4. जॉन मथाई
5. गिरिजापति मुखर्जी

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	5	4	2	1
(b)	4	3	1	2
(c)	4	2	3	1
(d)	3	4	1	2

73. सूची I (संस्थान) — सूची II (उत्पत्ति वर्ष)

A. राजस्व बोर्ड
B. नगर निगम
C. संभागीय आयुक्त
घ. जिलाधीश

1. 1687
2. 1799
3. 1786
4. 1829
5. 1772

संकेतः

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	1	4	5
(b)	2	4	3	1
(c)	2	3	1	4
(d)	3	1	5	4

74. सूची I (ग्राम स्तर के पदाधिकारी) — सूची II (राज्य)

A. लेखपाल
B. तलाती
C. करणम
D. पटेल

1. महाराष्ट्र
2. तमिलनाडु
3. महाराष्ट्र
4. उत्तर प्रदेश
5. मध्य प्रदेश

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	4	5	1
(b)	5	3	1	4
(c)	4	5	2	3
(d).	4	3	2	1

75. सूची I (कार्यकारी एजेंसी का नाम) — सूची II (प्रमुख का पदनाम)

A. पशुपालन विभाग
B. श्रम विभाग
C. कारागार विभाग
D. सहकारिता विभाग

1. महानिरीक्षक
2. रजिस्ट्रार
3. निदेशक
4. मुख्य संरक्षक
5. आयुक्त

संकेत–

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	5	3	2	4
(b)	3	5	1	2
(c)	3	2	5	4
(d)	5	2	3	1

76. सूची I (एजेंसियां) — सूची II (राज्य में)

A. राजस्व बोर्ड
B. वित्त आयुक्त
C. राजस्व अधिकरण

1. गुजरात
2. तमिलनाडु
3. पंजाब

संकेतः

	(A)	(B)	(C)
(a)	3	2	1
(b)	2	3	1
(c)	2	1	3
(d)	3	1	2

77. सूची I — सूची II

	सूची I		सूची II
A.	वास्तविक शासक	1.	सचिवालय
B.	नीति निर्माण	2.	राज्यपाल
C.	विधायी शासक	3.	निदेशालय
D.	नीति कार्यान्वयन	4.	मुख्यमंत्री
		5.	मुख्य सचिव

संकेत:

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	5	2	3	4
(b)	4	1	2	3
(c)	3	4	5	1
(d)	2	5	4	3

78. राज्य के राज्यपाल को-
1. राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
2. सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है।
3. राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है।
4. विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य को बांटने की शक्ति प्राप्त होती है।

उपर्युक्त में से सही कथन हैं-
(a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
(c) 1 और 4 (d) 1, 3 और 4

79. संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहमति से ही बनी रह सकती है। 'राज्यपाल की सहमति' का वास्तविक अर्थ है–
(a) राष्ट्रपति की इच्छा या सहमति
(b) प्रधानमंत्री की इच्छा या सहमति
(c) मुख्यमंत्री की इच्छा या सहमति
(d) विधानसभा की इच्छा या सहमति

80. राज्य सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारिया को अवरोही क्रम (ऊपर से नीचे के क्रम) में व्यवस्थित करें–
1. अवर सचिव
2. संयुक्त सचिव
3. विशेष सचिव
4. सहायक सचिव
5. उपसचिव

(a) 2, 3, 5, 1, 4 (b) 3, 2, 5, 4, 1
(c) 3, 2, 5, 1, 4 (d) 2, 3, 5, 4, 1

उत्तर

1. (b)	2. (c)	3. (c)	4. (d)	5. (c)	6. (d)
7. (b)	8. (c)	9. (d)	10. (d)	11. (d)	12. (a)
13. (d)	14. (d)	15. (c)	16. (c)	17. (d)	18. (c)
19. (d)	20. (d)	21. (d)	22. (d)	23. (c)	24. (b)
25. (c)	26. (d)	27. (d)	28. (b)	29. (c)	30. (c)
31. (d)	32. (d)	33. (d)	34. (b)	35. (a)	36. (c)
37. (c)	38. (c)	39. (d)	40. (c)	41. (d)	42. (d)
43. (d)	44. (d)	45. (d)	46. (b)	47. (d)	48. (c)
49. (d)	50. (d)	51. (a)	52. (d)	53. (b)	54. (b)
55. (c)	56. (d)	57. (a)	58. (a)	59. (a)	60. (d)
61. (a)	62. (b)	63. (b)	64. (d)	65. (d)	66. (d)
67. (c)	68. (c)	69. (d)	70. (b)	71. (c)	72. (b)
73. (a)	74. (d)	75. (b)	76. (b)	77. (b)	78. (c)
79. (d)	80. (c)				